हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को 02.00 बजे मध्याहन-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. <u>प्रश्न।</u>

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. <u>शून्य काल।</u>

III. <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं।</u>

(i)	**<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-12</u>** जिसकी सूचना- 1. **श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए.;** 2. **श्री अदित्य देवीलाल**, **एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है ।	रोहतक, भिवानी तथा हिसार सहित राज्य के कई जिलों में जलभराव की समस्या, जिसके कारण फसलों को नुकसान हुआ है, से सम्बंधित।
	<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-24</u> जिसकी सूचना- **1. श्री मामन खान, एम.एल.ए.;** **2. मोहम्मद इल्यास, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।
	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-29 जिसकी सूचना- **श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.**द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।
	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-34 जिसकी सूचना- **श्री बलराम दांगी, एम.एल.ए.**द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।
(ii)	**ध्यानाकर्षण सूचना संख्या- 5** जिसकी सूचना- **श्री शीशपाल केहरवाला, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है,	सी.ई.टी परीक्षा में अनियमित्ताओं तथा पेपर लेवल में असमानता से सम्बंधित।

IV. <u>नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष **2025-2026** के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना</u> ।

(i)	वित्त मंत्री	2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करेंगे।
(ii)	चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति	2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

V. **<u>2025-2026 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त)</u>**।

1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या **1**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹4,31,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **1 -** <u>विधान सभा</u> के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 1-3
मांग संख्या **2**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹5,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **2 -** <u>राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्</u> के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 4-5
मांग संख्या **3**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹201,70,00,000/-**से अधिक न हो, मांग संख्या **3 -** <u>सामान्य प्रशासन / निर्वाचन</u> के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 6-9
मांग संख्या **4**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹132,00,00,000/-** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **₹1,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **4 -** <u>राजस्व और आपदा प्रबन्धन / अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान</u> के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 10-13
मांग संख्या **5**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹58,53,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **5 -** <u>गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा)/ जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)</u> के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 14-22
मांग संख्या **6**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹1,68,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **6 -** <u>वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण / आपूर्ति एवं निपटान / आयोजना तथा सांख्यिकी (डीईएसए)</u> के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 23-26
मांग संख्या 7	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **₹161,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **7 -** <u>राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां</u> के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 27-29

		वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	
मांग संख्या **10**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹102,03,00,000/-** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **₹210,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **10 -** कृषि एवं किसान कल्याण / बागवानी / पशुपालन और डेयरी विकास / मत्स्य पालन / खान एवं भूविज्ञान / पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 30-40
मांग संख्या **11**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹500,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **11 -** सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 41-42
मांग संख्या **12**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **₹171,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **12-** शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/ उच्च शिक्षा (उच्च / तकनीकी / विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 43-46
मांग संख्या **14**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹1106,88,00,000/-** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **₹120,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **14 -** स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान / आयुष / खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 47-53
मांग संख्या **15**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹1,42,00,000/-** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **₹1,15,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **15 -** श्रम / युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण / रोजगार / युवा मामले) के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 54-56
मांग संख्या **16**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹68,60,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **16 -** सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 57-59
मांग संख्या **17**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹163,94,12,000/-** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **₹1044,63,21,881/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **17 -** लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/ परिवहन / नागर विमानन के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 60-75
मांग संख्या **18**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **₹30,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **18 -** सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति / मुद्रण तथा लेखन सामग्री के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 76-77

मांग संख्या **19**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **₹80,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **19 -** ऊर्जा विभाग (विद्युत / नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/ उद्योग एवं वाणिज्य / एमएसएमई / सिंचाई एवं जल संसाधन के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 78-80
मांग संख्या **20**	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **₹362,56,00,000/-** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **₹393,40,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **20 -** नगर तथा ग्राम आयोजना / शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/ शहरी स्थानीय निकाय(स्थानीय सरकार)/ विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में **31** मार्च, **2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 81-93

VI. सरकारी संकल्प।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे- "कि चूंकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2022, जमानत के अनुमोदनकर्ता के संबंध में उपबन्ध शामिल करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 हरियाणा राज्यार्थ को संशोधित करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा 2022 का विधेयक संख्या 19-एच.एल.ए. पारित किया गया था;

और चूंकि, उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया;

और चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया;

और चूंकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2022 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। इसी दौरान, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) को बदलते हुए तीन नए दांडिक कानून अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 47) प्रथम जुलाई, 2024 से लागु किए गए थे। इसलिए राज्य सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2022 को वापस लेने का निर्णय लिया है;

और चूंकि, मंत्री परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमन्त्री, हरियाणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2022 को वापस लेने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानसभा, इसके द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2022 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है।

VII. <u>विधायी कार्य।</u>

(i) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(ii) (विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:
24 अगस्त**,** 2025**.**

राजीव प्रसाद**,**
सचिव।